

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 280/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 05.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

### \*01.थाना-मुबारकपुर:- अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में\*

#### \*पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-\*

दिनांक 30.07.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया कि वादी के नाबालिग पुत्र के साथ 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. मुहम्मद अहमद पुत्र बदरुद्दीन निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2. सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 3. एक बाल अपचारी 4. अरशद आजमी पुत्र असलम निवासी सईदनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 339/2025 धारा 351(3) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 04 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया इस तरह कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है।

#### \*गिरफ्तारी का विवरण:-\*

आज दिनांक 05.08.2025 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित एक बाल अपचारी को इस्लामपुरा से समय करीब को समय करीब 11.45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### \*पंजीकृत अभियोग-\*

01. मु0अ0सं0 339/2025 धारा 351(3) बीएनएस व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### \*02.थाना-कोतवाली:- कार्यसरकार में बांधा डालने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार\*

#### \*पूर्व की घटना/इतिहास:-\*

वादी सच्चिदानन्द PRV-7149 मोटरसाइकिल थाना कन्धरापुर आजमगढ़ (पुलिस कर्मी) द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं कां0 सच्चिदानन्द, होमगार्ड चालक राजेश राय के साथ दिनांक 03.08.2025 की शाम करीब 06.30 बजे पेट्रोल लेकर हर्षा की चुंगी से वापस जाते समय फल लेने हेतु चौक पर रुके कि एक दो पहिया वाहन पर तीन सवार आये व एक अज्ञात राहगीर से गाली गलौज करने लगे व उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे। जिस पर पास में खड़े एक व्यक्ति द्वारा हम लोगो से कहा गया कि साहब वे लोग विवाद कर रहे है बचा लीजियो। जिस पर हम दोनों लोग उक्त व्यक्तियों के पास पहुँचकर बीच बचाव करने लगे। जिस पर तीनों लड़के व दो अन्य लड़के एकत्रित होकर हम दोनों लोगों से गाली गलौज करते हुए हाथापाई किये तथा वर्दी की कालर पकड़कर खींच दिये जिससे मेरे शर्ट की बटन टूट गई मेरे द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन उक्त व्यक्तियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मार देने की धमकी दिया गया व बार-बार वाहन संख्या UP32DG7149 सरकारी दो पहिया वाहन को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। जिस पर आसपास के मौजूद लोगों द्वारा इकट्ठा होकर उन लोगों को हटा दिया गया। जिनके बारे में जानकारी किया गया तो उनका नाम 1.अंकित सोनकर पुत्र टिल्लू सोनकर 2.मोनू सोनकर पुत्र टिल्लू सोनकर 3.सोनू सोनकर पुत्र टिल्लू सोनकर व दो अन्य व्यक्ति जो समस्त निवासी कटरा अनन्तपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के पाये गये। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दिनांक 04.08.2025 को मु0अ0सं0 372/2025 धारा 3(5),132, 351(3), 352, 324(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

#### \*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-\*

दिनांक 04.08.2025 को उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. मोनू सोनकर पुत्र टिल्लू सोनकर, निवासी मोहल्ला कटरा अनन्तपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2. सोनू सोनकर पुत्र टिल्लू सोनकर निवासी मोहल्ला कटरा अनन्तपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को उनके घर मोहल्ला कटरा अनन्तपुरा से समय करीब 08.45 बजे शाम को गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

#### \*अभियुक्त का विवरण:-\*

1. मोनू सोनकर पुत्र टिल्लू सोनकर उम्र 22 वर्ष, निवासी मोहल्ला कटरा अनन्तपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. सोनू सोनकर पुत्र टिल्लू उम्र 25 वर्ष, निवासी मोहल्ला कटरा अनन्तपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

#### \*पंजीकृत अभियोग-\*

01. मु0अ0सं0 372/2025 धारा 3(5),132, 351(3), 352, 324(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

01. उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

02. कां0 नीरज कुमार, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

03. कां0 विकास सरोज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।



**\*03.थाना-दीदारगंज:-युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-\***

वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग लड़की को अभियुक्त दिलीप पुत्र उजागिर निवासीग्राम प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 194/25 धारा 87,137(2) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) BNS व 3/4 पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया।

**\*गिरफ्तारी का विवरण:-\***

आज दिनांक 05.08.2025 को उ0नि0 करमुल्ला अली मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दिलीप पुत्र उजागिर ग्राम प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को हुब्बीगंज बाजार से समय करीब 9.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-\***

1.दिलीप पुत्र उजागिर ग्राम प्रतापपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-\***

1. उ0नि0 करमुल्ला अली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

2. कां0 गुलाबधर यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

